

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2024/ 322

दिनांक 29/01/2024

प्रार्थीगण :-

1.पेमाराम 2.भूराराम पि. मालाराम
जातियान जाट, निवासी भाखरपुरा
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

1.हड्डुमानराम पुत्र बांकाराम 2.तेजाराम पुत्र मुकनाराम
3.गोसाईराम पुत्र नेनूराम 4.जोगाराम पुत्र पदमाराम
5.पूराराम पुत्र पूनमाराम 6.अर्जुनराम पुत्र ठाकराराम
7.जोगाराम 8.लुम्भाराम पि. नेनूराम, जातियान जाट,
निवासी भाखरपुरा, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर
9.तहसीलदार चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 67/2023

दिनांक : 29.01.2024

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र चौहटन के मौजा भाखरपुरा के खेत खसरा सं. 460/222 रकबा 09.4858 हैक्टेयर, खसरा सं. 463/222 रकबा 03.2375 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2024/ 322 to 325
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण पेमाराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण हड्डुमानराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना/धनाऊ

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
दिनांक 29/01/2024



(सूरजभान विश्णोई)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन